न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1666/2025
साईबर थाना कांड संख्या–16/2025

बाबर उर्फ मो0 बाबर आलम एवं 01 अन्य.....अभियुक्तगण।
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

03-11-2025

आवेदकगण/अभियुक्तगण क्रमशः 01. बाबर उर्फ मो0 बाबर आलम एवं 02. करूआ उर्फ मो0 इस्तियाक आलम की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा 482(1) के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो साईबर थाना कांड संख्या 16/2025, अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) BNS & 66(C), 66(D) I.T. Act से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण कुमार मंडल एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीमती प्रभा कुमारी को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक कुन्दन कुमार पु0अ0नि0 के अनुसार यह है कि दिनांक 16.05.2025 को सूचना मिली कि महलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करहारा में कुछ लोग ग्रामीणों से फिंगरप्रिंट लेकर अवैध निकासी कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान कुछ व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भाग निकले, जिनकी पहचान स्थानीय लोगों द्वारा सलमान, साहिल, कोनैन एवं सालीक के रूप में की गई। मौके से दो मोबाईल फोनए एक सीम एवं एक फिंगर स्कैनिंग डिवाइस बरामद हुआ। प्राप्त नम्बर का SDR प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि ये मैसेज प्राथमिकी नामित अन्य अभियुक्तों के द्वारा भी अलग–अलग समय में भेजा गया है। जिससे प्रतित होता है कि ये सभी लोग गिरोह बनाकर भोले–भाले ग्रामीण जनता को बहला–फुसला कर उनकी निजी जानकारी प्राप्त करते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण द्वारा कोई जमानत आवेदन पत्र श्रीमान के न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष है और कोई अपराध कारित नहीं किए है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप झुठा, मनगढ़ंत एवं आधारहीन है। ग्रामीण राजनीति के तहत आवेदकगण को इस वाद में झूठा फसाया गया है। आवेदकगण के पास से कोई भी आपत्तीजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने

लगातार–

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1666/2025
साईबर थाना कांड संख्या–16/2025

लगातार–

03-11-2025

अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजिका अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करती हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद साईबर थाना कांड संख्या 16/2025, अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) BNS से संबंधित है तथा आवेदकगण के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं किया गया है। प्राथमिकी में घटना तिथि 16.05.2025 कथित की गई है, जबकि प्राथमिकी 15 दिन विलंब से दिनांक 30.05.2025 को दर्ज कराई गई है। जप्ती सूची के साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं। अभी तक के अनुसंधान में किसी पीड़ित का पता लगाने में अनुसंधानकर्ता विफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी अररिया के न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अंदर दाखिल कर आत्मसमर्पण करने/गिरफ्तार होने पर एवं विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी अररिया के संतुष्टि पर धारा–482(2) BNSS की शर्तो के अनुपालन करने पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–

1. आवेदकगण के एक जमानतदार उसके माता–पिता या अभिभावक होंगे।

(लेखापित)

Sd/-
(रवि कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ,
अररिया।